संख्या-61/2016/1408/52-1-2016-01(104)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 27 जून, 2016**

विषय -12वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव के आई०टी०आई० उन्नाव में 10 अतिरिक्त कार्यशालाओं के निर्माण हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(36)/2013-पी0पी0, दिनांक 17.09.2015 से जनपद-उन्नाव की प्रश्नगत आई0टी0आई0 में 10 अतिरिक्त कार्यशालाओं के निर्माण के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 295.00 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 295.00 लाख के सापेक्ष **प्रथम 66661 किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1,47,50,000/- (रू0 □□ □□□ सैंतालीस □□ □□□ □□□ मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में आई0टी0□□0 में 10 अतिरिक्त कार्यशालाओं के लिए प्राविधानित बजट रू0 4000.00 □□ के सापेक्ष उपलब्ध बजट ₹0 3797.50 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यप□ महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के□अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□ □□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	□□□ □□□	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त □□□ □□□□□
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	उन्नाव	□ □□टी० □ □□ उन्नाव में 10 अतिरिक्त कार्यशालाओं का निर्माण	01	295.00	295.00	0.00	295.00	147.50	0.00	147.50
		□□□	**01**	**295.00**	**295.00**	**0.00**	**295.00**	**147.50**	**0.00**	**147.50**

http://upsarkaadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करके व्यय की जायेगी। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों वा□ पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ के माध्यम □□ कार्यदायी संस्था **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लख□□** □□ □□□□ □□ हस्तान्तरित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य 03 माह में पूरा कर लिया जायेगा। कार्य को कुल अनुमोदित धनराशि से ही पूर्ण किया जाना है। यदि इस मद में कोई □द्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी □□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था वे□□□□□, □□ मध्य □□ □□□ □□ □□0□0□ (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा। निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/52-1-09-1(1)/09, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो □□□□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। आई0टी0□□0 में अतिरिक्त कार्यशालाओं के निर्माण का मानक एवं डिजाइन वही होगी, जो केन्द्र/राज्य □□□□ क सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है।

7- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माणधीन आई0टी0□□0 में अतिरिक्त कार्यशालाओं के निर्माण की गुणवत्ता की जॉच करायी जायेगी, ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हों। अवमुक्त धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं ग्रामों/स्थलों की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध □□□□ जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र एवं उक्त अन्य □□□□□ □□-दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनवाया जायेगा जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

11- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

12- उक्त निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश सं -□□0□□0 193/52-1-14-1(120)/2009, दिनांक 16 □□, 2014 के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी से निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थान□□ विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराय□ □□□□ □□□ समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा□□□

14- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □ □- व्ययक□ □□ अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्य □ □□ □□□□□ परिव्यय- □ □□□□□□-02-समाज कल्य□-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय □ □□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0105-**अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0□□0 भवनों का निर्माण (के0 100/□□0 0-□□0)-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/□□0-1-746/□□-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.nic.in

(श्रीप्रकाश सिंह)

□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1408(1) / □□□□-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□ □□, पर्यावरण भवन, □□0□□0□ 0 काम्पलेक्स □□□□ □□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनु सहित प्रेषित कि कृपया जनपद-उन्नाव □□ □ □□टी०□ □□ उन्नाव में 10 अतिरिक्त कार्यशालाओं के निर्माण का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर □□□□ कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित □□ लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

6- □□□□□, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , □0प्र0 □□□□□ □□□, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, □□□□□

7- □□□□□, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, ल□□□** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत □ □□टी०□ □□ उन्नाव में 10 अतिरिक्त कार्यशालाओं के निर्माण □□ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उन्नाव □□ □□ □□□ □□ प्रेषित कि कृपया आई०टी०□ □□ उन्नाव में 10 अतिरिक्त कार्यशालाओं के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□ □□ □□ □□□ □□ प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

11- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण □□□ □□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- □□□□ □□□□, □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को □□□□ □□□□□ □□ अवलोकनार्थ।

13- वित्त(आय-व्यय□)□□□-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)

Unicode ITI G.O

http://sikshasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in